

कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक/डी.एम.एफ./2017/ 309

सिंगरौली, दिनांक : 11.11.2017

निविदा सूचना

संयुक्त कलेक्टर कार्यालय भवन के कक्ष क्रमांक 42 (भू-तल) में संचालित कार्यालय जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली में आउट सोर्स से निम्न विवरण अनुसार कर्मचारी प्रदाय करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा पंजीकृत संस्थाओं से सीलबन्द निविदाएँ दिनांक 27.10.2017 को अपराह्न समय 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :-

क्रमांक	पद का नाम	अर्हता	पारिश्रमिक	पद संख्या
1	लेखापाल	मध्यप्रदेश शासन के अधीन कार्यालय / निगम / मण्डल अथवा स्वशासी संस्थान से सेवानिवृत्त लेखापाल (अधिकतम आयु 62 वर्ष) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी के अंको सहित वाणिज्य स्नातक एवं टैली सॉफ्टवेयर संचालन का डिप्लोमा।	01 अक्टूबर, 2017 को अद्यतन कलेक्टर दर से कुशल	01
2	कम्प्यूटर आपरेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंको सहित स्नातक तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में न्यूनतम एक वर्षीय अवधि का स्नातकोत्तर डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र।	01 अक्टूबर, 2017 को अद्यतन कलेक्टर दर से उच्च कुशल	01
3	भृत्य	कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण	01 अक्टूबर, 2017 को अद्यतन कलेक्टर दर से अकुशल	01

प्राप्त निविदायें दिनांक 15.11.2017 को सायं 04.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा के आवेदन प्रपत्र एवं शर्तें, अनुबंध प्रपत्र आदि दिनांक 14.11.2017 तक प्रतिदिन 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली कार्यालय (कक्ष क्रमांक 42) से रुपये 1000/- (रु. एक हजार) मात्र नगद या डी.डी. जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। पदों की सीमा को घटाने एवं बढ़ाने का पूर्ण अधिकार प्रतिष्ठान कार्यालय को होगा।

संलग्न : निविदा शर्तें।

सदस्य सचिव,

डी.एम.एफ. सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक : 11.11.2017

पृ.क्रमांक/डी.एम.एफ./2017/ 309

प्रतिलिपि,

1. निज सहायक, माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं अध्यक्ष, न्यास मण्डल, जिला खनिज प्रतिष्ठान, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जन सम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर 05 अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, समस्त जिला, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जनसम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिंगरौली की ओर जिले की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. कलेक्टर कार्यालय / प्रतिष्ठान कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ।

सदस्य सचिव,

डी.एम.एफ. सिंगरौली